(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 04/2023
नई दिल्ली, दिनांकः 5 अप्रैल, 2024

विषयः आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के लिए आयात अवधि को बढाना।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 08.12.2023 की अधिसूचना सं. 50/2023 और दिनांक 23.02.2024 की अधिसूचना संख्या 61/2023 के क्रम में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती हैः **(परिवर्तन मोटे अक्षरों में किए गए है)**

आइटीसी (एचएस) कोड और विवरण	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07131010 -- पीली मटर	क) आयात खेप के लिए एमआईपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना आयात 'मुक्त' है जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को अथवा इससे पहले जारी किया गया है। ख) आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के बाद जारी किया गया हो 'प्रतिबंधित' रहेगा और दिनांक 08.12.2023 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 50/2023 से पहले यथा मौजूद संबंधित आयात नीतिगत शर्ते लागू होगी। ग) पीली मटर का सभी आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 30 अप्रैल, 2024 या इससे पहले तिथि का है आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होगा।	क) आयात खेप के लिए एमआईपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना आयात 'मुक्त' है जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **30 जून, 2024** को अथवा इससे पहले जारी किया गया है। ख) आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **30 जून, 2024** के बाद जारी किया गया हो 'प्रतिबंधित' रहेगा और दिनांक 08.12.2023 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 50/2023 से पहले यथा मौजूद संबंधित आयात नीतिगत शर्ते लागू होगी। ग) पीली मटर का सभी **आयात** जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **30 जून, 2024** या इससे पहले तिथि का है **ऑनलाइन** आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होगा।

अधिसूचना का प्रभावः आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर का आयात एमआइपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना सभी आयात खेप जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **30 जून, 2024** को या इससे पहले जारी किया गया है के लिए तत्काल प्रभाव से आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अध्यधीन 'मुक्त' है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है। संतोष कुमार सारंगी 5.4.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2[क]/भाग–VI/ई–9019 से जारी)